हैती का संविधान

ISBN: 978-81-999878-5-2

AUTHOR

ADV.GANESH SHRIRANG SATARKAR

(LL.M)

ADVOCATE, BOMBAY HIGH COURT

BIOGRAPHY : ADV. GANESH SHRIRANG SATARKAR

Adv. Ganesh Shrirang Satarkar is an emerging legal scholar, researcher, and academic contributor working at the intersection of law, criminology, sociology, and digital governance. He is currently associated with the Central University of Haryana, where he is pursuing postgraduate research in sociology alongside his interdisciplinary work in legal studies.

He holds an LL.M. in Criminal Law, LL.B. (Special), and has qualified the UGC-NET in both Law and Criminology. His academic research focuses on criminal justice systems, cybercrime, artificial intelligence in law, media and crime, governance studies, and socio-legal research.

Adv.Ganesh has contributed to national and international academic platforms through research publications, conference papers, and interdisciplinary collaborations. His work explores emerging legal challenges in areas such as digital justice, cyber security, social justice, gender studies, and technological transformations in legal systems.

He is actively connected with several international academic and research platforms including ORCID, Web of Science, SSRN, Vidwan (INFLIBNET), Google Scholar, OSF, and Harvard Dataverse.

Author Bio Researcher Profiles :

1. ResearchIDs : rid131046
2. Orcid Id : https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8474-7432
3. ISNI : https://isni.org/isni/0000000529498911
4. Web of Science ResearcherIDOYE-6264-2025
5. Social science research network SSRN Author ID: 9293272
6. Vidwan Profile URL: https://vidwan.inflibnet.ac.in/profile/666713
7. Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=4MrvCEwAAAAJ
8. OSF ID : https://osf.io/cndj8/
9. harvard.edu : https://dataverse.harvard.edu/dataverse/GANESHSHRIRANGSATARKAR).
10 https://about.me/adv.ganeshsatarkar

Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932

ADV. GANESH SHRIRANG SATARKAR

1. **BOOK TITLE : हैती का संविधान**
2. **LANGUAGE:** HINDHI
3. **ISBN: 978-81-999878-5-2**
4. **EDITION:** FIRST EDITION
5. **AUTHOR: Mr. GANESH SHRIRANG SATARKAR**
6. **PUBLISHER/ PUBLISHING AGENCY** :-
7. **M/s. INDIAN FARMER AGRO CO. –** SHIVNERI, GAT NO 153, FARANDWADI, MANE MALA TAL PHALTAN, DIST - SATARA. MAHARSHTA, PIN 415523 INDIA
8. **CONTACT DETAILS:**
   MOBILE: +91 7066766607 **EMAIL:** GANESHNALE0@GMAIL.COM
9. **YEAR OF PUBLICATION:** 2026
10. **FORMAT:** SINGLE-COMPONENT RETAIL PRODUCT (BOOK)
11. **PRICE (IN INDIA):** ₹ 10 /- (**Printed and Published in India)**

COPYRIGHT & PUBLICATION STATEMENT

© 2026 **Mr. Ganesh Shrirang Satarkar (Nale)**
All rights reserved.
Disclaimer:
This publication is protected under applicable copyright laws. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, digitized, scanned, transmitted, copied, shared, sold, or circulated in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, audio-visual, digital, or online—without the prior written permission of the author and the publisher, except for brief quotations permitted strictly for academic, educational, research, or review purposes This book has been authored with the sole objective of presenting research-based, educational, and informative content in a clear, responsible, and accessible manner for students, scholars, and general readers. There is no intention whatsoever to offend, defame, misrepresent, or harm the sentiments, beliefs, dignity, or rights of any individual, community, group, culture, religion, or institution. All references are included purely for scholarly discussion. Every effort has been made to ensure accuracy; however, inadvertent errors may occur. Readers are requested to inform the publisher for correction in future editions. Unauthorized reproduction or piracy is punishable under law.

CERTIFICATE

OF WORLD RECORD

Proudly Presented To

Ganesh Shrirang Satarkar

In recognition of the outstanding achievement of becoming the First Indian to Translate and Publish the Constitutions of All 54 African Countries into Hindi as Separate ISBN-Registered Books, demonstrating exceptional dedication, scholarly excellence, and a significant contribution to legal literature and linguistic accessibility, thereby establishing a distinguished and historic record of academic accomplishment.

We officially announce the above-mentioned candidate as a globally certified **"Inspiration World Record Holder"**.

The certificate was issued on 27th February, 2026.

INSPIRATION IS WHERE PASSION BECOMES LEGACY

CERTIFIED

Application No. IWR/2026/UR0173
Certificate No. IWR/2026/WRH0081
Issued By: Chief Adjudicator

ISO CERTIFIED

VISHWAGURU ARPANAM 2026

VIA2025/SS-VA2025AZ760-2025-170/09102025

2 025100 900010

ISO 9001:2015 Registration No: QT-56622/0925
Micro, Small, and Medium Enterprises Registration Number: 11-0093948
Trademark Registered Under the Act of "TRADE MARKS ACT, 1999"

© www.inspirationworldrecords.org

हैती का संविधान

TITLE I

1. अनुच्छेद 1 – हैती एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और संप्रभु गणराज्य है।
2. अनुच्छेद 1-1 – राजधानी पोर्ट-ओ-प्रिंस है।
3. अनुच्छेद 2 – राष्ट्रीय रंग नीला और लाल हैं।
4. अनुच्छेद 3 – राष्ट्रीय ध्वज और प्रतीक निर्धारित हैं।
5. अनुच्छेद 4 – राष्ट्रीय आदर्श वाक्य स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व है।
6. अनुच्छेद 4-1 – राष्ट्रीय गान "डेसालिनियन" है।
7. अनुच्छेद 5 – क्रियोल और फ्रेंच आधिकारिक भाषाएँ हैं।
8. अनुच्छेद 6 – मुद्रा "गुर्दे" है।
9. अनुच्छेद 7 – व्यक्तिपूजा प्रतिबंधित है।
10. अनुच्छेद 7-1 – मृत व्यक्तियों के चित्र उपयोग हेतु अनुमति आवश्यक है।
11. अनुच्छेद 8 – हैती का क्षेत्र द्वीप और आसपास के क्षेत्रों को शामिल करता है।
12. अनुच्छेद 8-1 – क्षेत्रीय अखंडता अटल है।
13. अनुच्छेद 9 – प्रशासनिक विभाजन निर्धारित हैं।
14. अनुच्छेद 9-1 – विभाजन का निर्धारण कानून से होगा।

TITLE II

15. अनुच्छेद 10 – नागरिकता का निर्धारण कानून से होगा।
16. अनुच्छेद 11 – माता-पिता से जन्म पर नागरिकता मिलती है।
17. अनुच्छेद 11-1 – नागरिकता प्राप्ति की शर्तें कानून तय करेगा।
18. अनुच्छेद 12 – सभी नागरिक समान अधिकार रखते हैं।
19. अनुच्छेद 12-1 – (रद्द)
20. अनुच्छेद 12-2 – (रद्द)
21. अनुच्छेद 13 – (रद्द)

22. अनुच्छेद 14 – (रद्द)

23. अनुच्छेद 15 – (रद्द)

TITLE III (Rights)

24. अनुच्छेद 16 – नागरिकता अधिकारों के उपयोग से तय होती है।

25. अनुच्छेद 16-1 – (रद्द)

26. अनुच्छेद 16-2 – वयस्कता 18 वर्ष है।

27. अनुच्छेद 17 – नागरिकों को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं।

28. अनुच्छेद 17-1 – महिलाओं को 30% प्रतिनिधित्व दिया गया है।

29. अनुच्छेद 18 – सभी कानून के सामने समान हैं।

30. अनुच्छेद 19 – जीवन और स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित है।

31. अनुच्छेद 20 – मृत्युदंड समाप्त है।

32. अनुच्छेद 21 – देशद्रोह की परिभाषा दी गई है।

33. अनुच्छेद 21-1 – देशद्रोह की सजा कठोर है।

34. अनुच्छेद 22 – आवास, शिक्षा, भोजन का अधिकार है।

35. अनुच्छेद 23 – राज्य स्वास्थ्य सेवाएँ देगा।

36. अनुच्छेद 24 – व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित है।

37. अनुच्छेद 24-1 – गिरफ्तारी केवल कानून अनुसार होगी।

38. अनुच्छेद 24-2 – बिना आदेश गिरफ्तारी नहीं होगी।

39. अनुच्छेद 24-3 – गिरफ्तारी की प्रक्रिया निर्धारित है।

40. अनुच्छेद 25 – यातना निषिद्ध है।

41. अनुच्छेद 25-1 – पूछताछ में वकील का अधिकार है।

42. अनुच्छेद 26 – 48 घंटे में न्यायालय में पेश करना जरूरी है।

43. अनुच्छेद 26-1 – गिरफ्तारी की समीक्षा न्यायालय करेगा।

44. अनुच्छेद 26-2 – अवैध गिरफ्तारी पर रिहाई होगी।

45. अनुच्छेद 27 – अधिकार उल्लंघन पर न्याय मिलेगा।

46. अनुच्छेद 27-1 – अधिकारियों की जिम्मेदारी तय है।

47. अनुच्छेद 28 – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।

48. अनुच्छेद 28-1 – पत्रकार स्वतंत्र हैं।

49. अनुच्छेद 28-2 – स्रोत गोपनीयता सुरक्षित है।

50. अनुच्छेद 28-3 – प्रेस अपराध कानून से नियंत्रित हैं।

51. अनुच्छेद 29 – याचिका का अधिकार है।

52. अनुच्छेद 29-1 – (रद्द)

53. अनुच्छेद 30 – धर्म की स्वतंत्रता है।

54. अनुच्छेद 30-1 – किसी धर्म के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

55. अनुच्छेद 30-2 – धार्मिक मान्यता कानून से होगी।

56. अनुच्छेद 31 – सभा और संगठन की स्वतंत्रता है।

57. अनुच्छेद 31-1 – राजनीतिक दल स्वतंत्र हैं।

58. अनुच्छेद 31-1-1 – महिलाओं को प्रतिनिधित्व अनिवार्य है।

59. अनुच्छेद 31-2 – सार्वजनिक सभा की सूचना देनी होगी।

60. अनुच्छेद 31-3 – किसी संगठन में शामिल होना बाध्यकारी नहीं है।

61. अनुच्छेद 32 – शिक्षा का अधिकार है।

62. अनुच्छेद 32-1 – शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी है।

63. अनुच्छेद 32-2 – शिक्षा विकास का आधार है।

64. अनुच्छेद 32-3 – प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है।

65. अनुच्छेद 32-4 – तकनीकी शिक्षा राज्य देगा।

66. अनुच्छेद 32-5 – प्रारंभिक शिक्षा भी राज्य की जिम्मेदारी है।

67. अनुच्छेद 32-6 – उच्च शिक्षा सभी के लिए खुली है।

68. अनुच्छेद 32-7 – शिक्षा संस्थान विकसित किए जाएंगे।

69. अनुच्छेद 32-8 – दिव्यांगों को शिक्षा व संरक्षण मिलेगा।

70. अनुच्छेद 32-9 – साक्षरता अभियान चलाए जाएंगे।

71. अनुच्छेद 32-10 – शिक्षकों को उचित वेतन मिलेगा।

72. अनुच्छेद 33 – शिक्षा की स्वतंत्रता है।

73. अनुच्छेद 34 – स्कूल परिसर सुरक्षित हैं।

74. अनुच्छेद 34-1 – विशेष परिस्थितियों में अपवाद है।

75. अनुच्छेद 35 – काम करने की स्वतंत्रता है।

76. अनुच्छेद 35-1 – उचित वेतन और अवकाश का अधिकार है।

77. अनुच्छेद 35-2 – समान कार्य के लिए समान वेतन है।

78. अनुच्छेद 35-3 – यूनियन बनाने का अधिकार है।

79. अनुच्छेद 35-4 – यूनियन गैर-राजनीतिक होंगी।

80. अनुच्छेद 35-5 – हड़ताल का अधिकार है।

81. अनुच्छेद 35-6 – बाल श्रम कानून से नियंत्रित है।

82. अनुच्छेद 36 – संपत्ति का अधिकार सुरक्षित है।

83. अनुच्छेद 36-1 – सार्वजनिक हित में अधिग्रहण संभव है।

84. अनुच्छेद 36-2 – संपत्ति जब्ती निषिद्ध है।

85. अनुच्छेद 36-3 – संपत्ति पर सामाजिक दायित्व है।

86. अनुच्छेद 36-4 – भूमि का उपयोग अनिवार्य है।

87. अनुच्छेद 36-5 – प्राकृतिक संसाधन राज्य के हैं।

88. अनुच्छेद 36-6 – खनन नियम कानून तय करेगा।

89. अनुच्छेद 37 – भूमि सुधार कानून द्वारा होगा।

90. अनुच्छेद 38 – बौद्धिक संपत्ति सुरक्षित है।

91. अनुच्छेद 39 – स्थानीय लोगों को भूमि अधिकार मिलते हैं।

92. अनुच्छेद 40 – सूचना का अधिकार है।

93. अनुच्छेद 41 – नागरिकों को निर्वासन नहीं किया जा सकता।

94. अनुच्छेद 41-1 – वीजा की आवश्यकता नहीं है।

95. अनुच्छेद 42 – न्यायालय तक पहुंच का अधिकार है।

96. अनुच्छेद 42-1 – सैन्य अपराध सामान्य अदालत में सुनवाई होंगे।

97. अनुच्छेद 42-2 – सैन्य न्यायालय सीमित अधिकार रखते हैं।

98. अनुच्छेद 42-3 – नागरिक मामलों में सामान्य न्यायालय लागू होंगे।

99. अनुच्छेद 43 – तलाशी कानून अनुसार होगी।

100. अनुच्छेद 44 – कैदियों को अलग रखा जाएगा।

101. अनुच्छेद 44-1 – जेलों में मानव गरिमा का सम्मान होना चाहिए।

102. अनुच्छेद 45 – दंड केवल कानून द्वारा निर्धारित होगा।

103. अनुच्छेद 46 – किसी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने को बाध्य नहीं किया जा सकता।

104. अनुच्छेद 47 – शपथ केवल कानून के अनुसार ली जाएगी।

105. अनुच्छेद 48 – पेंशन व्यवस्था स्थापित की जाएगी।

106. अनुच्छेद 49 – संचार की गोपनीयता सुरक्षित है।

107. अनुच्छेद 50 – गंभीर अपराधों में जूरी प्रणाली लागू है।

108. अनुच्छेद 51 – कानून पूर्व प्रभाव से लागू नहीं होगा (कुछ अपवाद)।

CHAPTER III – नागरिक कर्तव्य

109. अनुच्छेद 52 – अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हैं।

110. अनुच्छेद 52-1 – नागरिकों के विभिन्न कर्तव्य बताए गए हैं।

111. अनुच्छेद 52-2 – कर्तव्यों का उल्लंघन दंडनीय है।

112. अनुच्छेद 52-3 – अनिवार्य नागरिक सेवा लागू है।

TITLE IV – विदेशी

113. अनुच्छेद 53 – विदेशी प्रवेश व निवास कानून से नियंत्रित है।

114. अनुच्छेद 54 – विदेशी भी कानूनी संरक्षण पाते हैं।

115. अनुच्छेद 54-1 – विदेशियों को कुछ आर्थिक अधिकार दिए गए हैं।

116. अनुच्छेद 55 – विदेशी संपत्ति रख सकते हैं (सीमित)।

117. अनुच्छेद 55-1 – संपत्ति स्वामित्व पर सीमाएँ हैं।

118. अनुच्छेद 55-2 – व्यापार हेतु संपत्ति की अनुमति है।

119. अनुच्छेद 55-3 – सीमाओं पर संपत्ति प्रतिबंधित है।

120. अनुच्छेद 55-4 – निवास समाप्त होने पर अधिकार खत्म होते हैं।

121. अनुच्छेद 55-5 – उल्लंघन पर दंड होगा।

122. अनुच्छेद 56 – राजनीतिक हस्तक्षेप पर निष्कासन हो सकता है।

123. अनुच्छेद 57 – शरण का अधिकार मान्य है।

TITLE V – राष्ट्रीय संप्रभुता

124. अनुच्छेद 58 – संप्रभुता जनता में निहित है।

125. अनुच्छेद 59 – तीन शक्तियों में विभाजन है।

126. अनुच्छेद 59-1 – राज्य संरचना इन शक्तियों पर आधारित है।

127. अनुच्छेद 60 – शक्तियाँ स्वतंत्र हैं।

128. अनुच्छेद 60-1 – शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होगा।

129. अनुच्छेद 60-2 – प्रत्येक शक्ति अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है।

CHAPTER I – विकेंद्रीकरण

130. अनुच्छेद 61 – प्रशासनिक इकाइयाँ निर्धारित हैं।

131. अनुच्छेद 61-1 – अतिरिक्त इकाइयाँ बनाई जा सकती हैं।

132. अनुच्छेद 62 – कम्यूनल सेक्शन सबसे छोटी इकाई है।

133. अनुच्छेद 63 – इसका संचालन निर्वाचित परिषद करती है।

134. अनुच्छेद 63-1 – परिषद को सभा सहयोग देती है।

135. अनुच्छेद 64 – राज्य विकास हेतु संरचना बनाएगा।

136. अनुच्छेद 65 – परिषद सदस्य की योग्यता तय है।

137. अनुच्छेद 66 – कम्यून को प्रशासनिक स्वायत्तता है।

138. अनुच्छेद 66-1 – परिषद को सभा सहयोग देती है।

139. अनुच्छेद 67 – नगरपालिका परिषद की संरचना बताई गई है।

140. अनुच्छेद 68 – परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष है।

141. अनुच्छेद 69 – कार्यप्रणाली कानून से तय होगी।

142. अनुच्छेद 70 – सदस्य योग्यता निर्धारित है।

143. अनुच्छेद 71 – तकनीकी सहायता सरकार देगी।

144. अनुच्छेद 72 – परिषद को भंग किया जा सकता है।

145. अनुच्छेद 73 – संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक हित में होगा।

146. अनुच्छेद 74 – भूमि प्रबंधन का अधिकार परिषद को है।

147. अनुच्छेद 75 – एरॉन्डिसमेंट प्रशासनिक इकाई है।

148. अनुच्छेद 76 – विभाग सबसे बड़ा प्रशासनिक भाग है।

149. अनुच्छेद 77 – विभाग स्वायत्त है।

150. अनुच्छेद 78 – विभागीय परिषद का गठन होता है।

CHAPTER II – विधायिका

151. अनुच्छेद 79 – विधायी शक्ति संसद में निहित है।

152. अनुच्छेद 80 – संसद द्विसदनीय है।

153. अनुच्छेद 81 – सांसदों की शक्तियाँ निर्धारित हैं।

154. अनुच्छेद 82 – संसद के सत्र नियमित होंगे।

155. अनुच्छेद 83 – विशेष सत्र बुलाए जा सकते हैं।

156. अनुच्छेद 84 – संसद के नियम निर्धारित हैं।

157. अनुच्छेद 85 – विधायी प्रक्रिया तय है।

158. अनुच्छेद 86 – कानून प्रस्ताव प्रक्रिया दी गई है।

159. अनुच्छेद 87 – बजट प्रक्रिया निर्धारित है।

160. अनुच्छेद 88 – संसद नियंत्रण का अधिकार रखती है।

161. अनुच्छेद 89 – संसद सरकार पर निगरानी रखती है।

162. अनुच्छेद 90 – सांसदों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं।

163. अनुच्छेद 91 – सांसदों की योग्यता तय है।

164. अनुच्छेद 92 – सांसदों का चुनाव नियम अनुसार होगा।

165. अनुच्छेद 93 – कार्यकाल निर्धारित है।

166. अनुच्छेद 94 – रिक्त सीट भरने की प्रक्रिया है।

167. अनुच्छेद 95 – संसद का विघटन संभव है।

168. अनुच्छेद 96 – संसदीय समितियाँ बनाई जाएंगी।

169. अनुच्छेद 97 – संसद कार्यवाही सार्वजनिक होगी।

170. अनुच्छेद 98 – मतदान प्रक्रिया तय है।

171. अनुच्छेद 99 – विधेयक पारित करने के नियम हैं।

172. अनुच्छेद 100 – कानून की स्वीकृति प्रक्रिया दी गई है।

173. अनुच्छेद 101 – राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है।

174. अनुच्छेद 102 – राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा होता है।

175. अनुच्छेद 103 – राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित है।

176. अनुच्छेद 104 – पुनर्निर्वाचन सीमित है।

177. अनुच्छेद 105 – राष्ट्रपति की शक्तियाँ निर्धारित हैं।

178. अनुच्छेद 106 – प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है।

179. अनुच्छेद 107 – मंत्रिपरिषद कार्य करती है।

180. अनुच्छेद 108 – सरकार प्रशासन चलाती है।

181. अनुच्छेद 109 – कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है।

182. अनुच्छेद 110 – सरकार की नीतियाँ लागू होती हैं।

183. अनुच्छेद 111 – प्रशासनिक नियंत्रण सरकार के पास है।

184. अनुच्छेद 112 – राज्य सुरक्षा का दायित्व सरकार का है।

185. अनुच्छेद 113 – विदेश नीति सरकार बनाती है।

186. अनुच्छेद 114 – राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है।

187. अनुच्छेद 115 – राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकता है।

188. अनुच्छेद 116 – मंत्रियों की जिम्मेदारी तय है।

189. अनुच्छेद 117 – सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित है।

190. अनुच्छेद 118 – प्रशासनिक कार्य नियमों से संचालित होंगे।

191. अनुच्छेद 119 – सरकारी निर्णय कानून अनुसार होंगे।

192. अनुच्छेद 120 – न्यायपालिका स्वतंत्र है।

193. अनुच्छेद 121 – न्यायालयों की संरचना निर्धारित है।

194. अनुच्छेद 122 – न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तय है।

195. अनुच्छेद 123 – न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुरक्षित है।

196. अनुच्छेद 124 – न्यायालय कानून की रक्षा करते हैं।

197. अनुच्छेद 125 – न्यायिक समीक्षा का अधिकार है।

198. अनुच्छेद 126 – न्यायालय निष्पक्ष निर्णय देंगे।

199. अनुच्छेद 127 – न्याय प्रणाली जनता की सेवा करती है।

200. अनुच्छेद 128 – न्यायपालिका का संगठन निर्धारित है।

CHAPTER V – उच्च न्यायालय (High Court)

201. अनुच्छेद 200-1 – उच्च न्यायालय विशेष मामलों की सुनवाई करता है।

202. अनुच्छेद 200-2 – राष्ट्रपति व उच्च अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

203. अनुच्छेद 200-3 – अभियोजन प्रक्रिया संसद द्वारा तय होती है।

204. अनुच्छेद 200-4 – न्यायालय का गठन कानून अनुसार होता है।

205. अनुच्छेद 200-5 – निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।

TITLE VI – स्वतंत्र संस्थाएँ

206. अनुच्छेद 190 – संवैधानिक परिषद की स्थापना है।

207. अनुच्छेद 191 – परिषद संविधान की रक्षा करती है।

208. अनुच्छेद 192 – परिषद विवादों का समाधान करती है।

209. अनुच्छेद 193 – स्थायी निर्वाचन परिषद का गठन है।

210. अनुच्छेद 194 – चुनाव प्रक्रिया का संचालन परिषद करती है।

211. अनुच्छेद 195 – स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जाते हैं।

212. अनुच्छेद 196 – लेखा एवं प्रशासनिक न्यायालय स्थापित है।

213. अनुच्छेद 197 – वित्तीय नियंत्रण का अधिकार है।

214. अनुच्छेद 198 – सार्वजनिक व्यय की जांच की जाती है।

215. अनुच्छेद 199 – सुलह आयोग विवाद निपटाता है।

216. अनुच्छेद 200 – नागरिकों की सुरक्षा हेतु संस्थाएँ कार्य करती हैं।

TITLE VII – सार्वजनिक वित्त

217. अनुच्छेद 217 – राज्य की आय और व्यय का प्रबंधन होता है।

218. अनुच्छेद 218 – बजट संसद द्वारा स्वीकृत होता है।

219. अनुच्छेद 219 – कर प्रणाली कानून से निर्धारित है।

220. अनुच्छेद 220 – सार्वजनिक धन का उपयोग नियम अनुसार होगा।

221. अनुच्छेद 221 – वित्तीय पारदर्शिता आवश्यक है।

222. अनुच्छेद 222 – सरकारी लेखा जांच की जाएगी।

223. अनुच्छेद 223 – भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा।

224. अनुच्छेद 224 – सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखी जाएगी।

225. अनुच्छेद 225 – वित्तीय जिम्मेदारी तय है।

226. अनुच्छेद 226 – बजट अनुशासन बनाए रखा जाएगा।

227. अनुच्छेद 227 – वित्तीय संस्थाओं का संचालन कानून से होगा।

228. अनुच्छेद 227-1 – अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान लागू होंगे।

229. अनुच्छेद 227-2 – वित्तीय नियमों का पालन अनिवार्य है।

230. अनुच्छेद 227-3 – वित्तीय नियंत्रण मजबूत किया जाएगा।

231. अनुच्छेद 227-4 – संसाधनों का उचित उपयोग होगा।

232. अनुच्छेद 228 – सार्वजनिक वित्त की निगरानी होगी।

233. अनुच्छेद 228-1 – वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित है।

234. अनुच्छेद 228-2 – लेखा प्रणाली विकसित होगी।

235. अनुच्छेद 229 – कर संग्रह प्रणाली लागू है।

236. अनुच्छेद 230 – राज्य राजस्व बढ़ाने के उपाय करेगा।

237. अनुच्छेद 231 – वित्तीय नीति लागू की जाएगी।

238. अनुच्छेद 231-1 – वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा।

239. अनुच्छेद 232 – सार्वजनिक व्यय नियंत्रित रहेगा।

240. अनुच्छेद 233 – आर्थिक स्थिरता बनाए रखी जाएगी।

TITLE VIII – सिविल सेवा

241. अनुच्छेद 234 – सिविल सेवा का गठन है।

242. अनुच्छेद 234-1 – कर्मचारियों की नियुक्ति नियम अनुसार होगी।

243. अनुच्छेद 235 – सरकारी कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित हैं।

244. अनुच्छेद 236 – सेवा शर्तें कानून से निर्धारित हैं।

245. अनुच्छेद 236-1 – अनुशासन नियम लागू हैं।

246. अनुच्छेद 236-2 – कर्मचारियों की जवाबदेही तय है।

247. अनुच्छेद 237 – सेवा में निष्पक्षता आवश्यक है।

248. अनुच्छेद 238 – प्रशासनिक दक्षता बढ़ाई जाएगी।

249. अनुच्छेद 239 – सेवा संरचना विकसित की जाएगी।

250. अनुच्छेद 240 – सेवा सुधार लागू होंगे।

251. अनुच्छेद 241 – कर्मचारियों का प्रशिक्षण होगा।

252. अनुच्छेद 242 – पदोन्नति नियम निर्धारित हैं।

253. अनुच्छेद 243 – सेवा सुरक्षा सुनिश्चित है।

254. अनुच्छेद 244 – सरकारी सेवा का नियमन कानून से होगा।

TITLE IX – अर्थव्यवस्था व पर्यावरण

255. अनुच्छेद 245 – आर्थिक विकास राज्य का लक्ष्य है।

256. अनुच्छेद 246 – कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा।

257. अनुच्छेद 247 – प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा।

258. अनुच्छेद 248 – पर्यावरण सुरक्षा आवश्यक है।

TITLE X – परिवार

259. अनुच्छेद 259 – परिवार समाज की मूल इकाई है।

260. अनुच्छेद 260 – राज्य परिवार की रक्षा करेगा।

261. अनुच्छेद 261 – बच्चों के अधिकार सुरक्षित हैं।

262. अनुच्छेद 262 – परिवार कल्याण सुनिश्चित किया जाएगा।

TITLE XI – सेना व पुलिस

263. अनुच्छेद 263 – सेना का गठन राज्य रक्षा हेतु है।

264. अनुच्छेद 263-1 – सेना की भूमिका निर्धारित है।

265. अनुच्छेद 263-2 – पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखती है।

TITLE XII – सामान्य प्रावधान

266. अनुच्छेद 275 – आधिकारिक भाषाओं का उपयोग निर्धारित है।

267. अनुच्छेद 275-1 – भाषा उपयोग के नियम बनाए गए हैं।

268. अनुच्छेद 275-2 – प्रशासन में भाषा नीति लागू है।

269. अनुच्छेद 276 – अंतरराष्ट्रीय संधियाँ मान्य हैं।

270. अनुच्छेद 276-1 – संधियाँ कानून का हिस्सा बनती हैं।

271. अनुच्छेद 276-2 – संधियों का पालन अनिवार्य है।

272. अनुच्छेद 277 – कानूनों का प्रकाशन आवश्यक है।

273. अनुच्छेद 278 – प्रशासनिक नियम निर्धारित हैं।

274. अनुच्छेद 278-1 – अतिरिक्त नियम लागू हैं।

275. अनुच्छेद 278-2 – प्रशासनिक प्रक्रिया तय है।

276. अनुच्छेद 278-3 – नियमों का पालन अनिवार्य है।

277. अनुच्छेद 278-4 – प्रशासनिक अनुशासन आवश्यक है।

278. अनुच्छेद 279 – शासन के सिद्धांत लागू हैं।

279. अनुच्छेद 279-1 – शासन में पारदर्शिता होगी।

280. अनुच्छेद 280 – कानून व्यवस्था बनाए रखी जाएगी।

281. अनुच्छेद 281 – सामान्य नियम लागू हैं।

282. अनुच्छेद 281-1 – अतिरिक्त प्रावधान लागू हैं।

TITLE XIII – संविधान संशोधन

283. अनुच्छेद 282 – संविधान संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित है।

284. अनुच्छेद 282-1 – संशोधन के नियम तय हैं।

285. अनुच्छेद 283 – संशोधन सीमित परिस्थितियों में होगा।

286. अनुच्छेद 284 – मूल संरचना बदली नहीं जा सकती।

M/s.Adv.Ganesh Shrirang Satarkar & Co.
Published By This Book

THE END

Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932